



**इलाहाबाद उच्च न्यायालय,
लखनऊ**

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 9528/2024

कल्लू

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रधान सचिव, गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : हरि प्रसाद, उमेश कुमार मौर्या

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 23

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।
2. यह जमानत याचिका आवेदक की ओर से दायर की गई है, जो एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 18/20 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 0141/2023, पुलिस थाना- दही, ज़िला- उन्नाव में आरोपी है।
3. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आवेदक के कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ, यानी 1.575 किग्रा चरस बरामद होने की बात कही गई है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि अभियोजन पक्ष ने एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के अनिवार्य प्रावधान का पालन नहीं किया है। आगे यह भी निवेदन है कि आवेदक का छह मामलों का पिछला आपराधिक इतिहास है, जिसका स्पष्टीकरण जमानत अर्जी के समर्थन में दायर शपथ-पत्र के पैरा संख्या 24 में विधिवत दिया गया है। आगे यह भी निवेदन है कि आवेदक 29.05.2024 से जेल में है और जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक के भागने या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि मौजूदा आवेदक का आपराधिक इतिहास है और उसके खिलाफ छह मामले दर्ज हैं; इसलिए आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है। हालाँकि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह भी बताया कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 37 के तहत लगाए गए प्रतिबंध को देखते हुए, इस न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह उसमें निर्धारित दोहरी शर्तों के संबंध में अपनी संतुष्टि दर्ज करे।
7. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने के बाद, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि (i) यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आवेदक कथित अपराध का दोषी नहीं है; और (ii) आवेदक के जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।
8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 में निहित दोहरी शर्तें पूरी हो गई हैं और यह तथ्य कि बरामद किया गया प्रतिबंधित पदार्थ व्यावसायिक मात्रा से थोड़ा अधिक है; आवेदक 29.05.2024 से जेल में है; चार मामलों के आपराधिक इतिहास को जमानत अर्जी के समर्थन में दायर हलफनामे के पैरा संख्या 24 में विधिवत स्पष्ट किया गया है, मामले में आरोप-पत्र दायर किया जा चुका है और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए एक उपयुक्त मामला मानता हूँ।
9. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
10. उपर्युक्त केस क्राइम नंबर में शामिल आवेदक- **कल्लू** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए, जो न्याय के हित में लगाई जा रही हैं:-
 - (i) आवेदक विचारण के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/उसे डराएगा-धमकाएगा नहीं।
 - (iii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को कोर्ट या किसी पुलिस अधिकारी के सामने बताने से रोका जा सके, या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
 - (iv) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह सबूतों के लिए तय तारीखों पर, जब गवाह कोर्ट में मौजूद हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उल्लंघन होने पर, विचारण कोर्ट इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

(v) आवेदक विचारण कोर्ट के सामने हर तय तारीख पर, या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति होने पर, विचारण कोर्ट कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

(vi) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 84 बी.एन.एस. एस. के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर कोर्ट के सामने पेश होने में विफल रहता है, तो विचारण कोर्ट कानून के अनुसार, धारा 209 बी.एन.एस. के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान जमानत अर्जी तक ही सीमित हैं, और इनका विचारण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

20 मार्च 2026

आनंद/-

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)